

उत्तराखण्ड शासन  
राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

18 जनवरी, 2024 ई0

संख्या 21/XVIII(3)/2024-7(134)2008-राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त मू-राजस्व अधिनियम, 1901 (सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों, जिसे अधिसूचना संख्या-70/1-14-2000-49(2)-94-81, दिनांक 10.03.2000 एवं अधिसूचना संख्या-199/XVIII(2)2010-7(134)/2008 दिनांक 30.09.2010 के द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाये इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
उधमसिंह नगर	सितारगंज	किलपुरी	बरुवाबाग
		नानकमत्ता	हरैया
	काशीपुर	काशीपुर	मानपुर फिरोजपुर

आज्ञा से,

सचिन कुर्वे,  
सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.21/XVIII(3)/2024-07(134)2008 Dated- January 18, 2024 for general information.

NOTIFICATION

January 18, 2024

**No.21/XVIII(3)/2024-07(134)2008--**In exercise of the powers conferred by Section 48 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act No. 03 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the villages mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 70/1-14-2000-49(2)-94-81, dated 10 March, 2000 and Notification No. 199/XVIII(2)2010-7(134)/2008 dated 30 September 2010 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Udham Singh Nagar	Sitarganj	Kilpuri	Baruabagh
		Nanakmatta	Haraiya
	kashipur	Kashipur	Manpur Firojpur

By Order,

SACHIN KURVE,  
Secretary, Revenue.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 10-02-2024, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 राजस्व/105-24-02-2024-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)